8/01/20 पत्रावली पेश हुई / वकील वादीउप. / वादी पक्ष
में ~~[illegible]~~ [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 67 / दावा / 19 तारीख दायरा 16.08.2019

उनवान

1. नन्दलाल पिता कंवरलाल जाति लोधा निवासी बनेठ तहसील मनोहरथाना
2. परमानन्द पिता कंवरलाल जाति लोधा निवासी बनेठ तहसील मनोहरथाना

—वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पिता बीरम जाति भील निवासी टोडाखेडा तहसील मनोहरथाना
2. रंगलाल पिता बीरम जाति भील निवासी टोडाखेडा तहसील मनोहरथाना
3. कालू पिता किशना जाति भील निवासी टोडाखेडा तहसील मनोहरथाना
4. दोला पिता गिरधारी जाति भील निवासी टोडाखेडा तहसील मनोहरथाना

— प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :— श्री गजेन्द्र कुमार नामा अधिवक्ता वादी

एक पक्षीय (प्रतिवादी पक्ष)

निर्णय दिनांक 28-01-20

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जर्ये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट इस आशाय का प्रस्तुत किया है कि — ग्राम टोडाखेडा पटवार हल्का खेरखेडा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 9 पुरानी 5 की खसरा नम्बर 96 की 0.19 बीघा, 97 की 6.16 बीघा, 139 की 1.18 बीघा कुल 3 किता की 9.13 बीघा आराजी वादीगण एवं अन्य सहखातेदारान में के शामिल खाते में दर्ज है।

वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में से खसरा संख्या 96 की 0.06 बीघा, 97 की 2.05 बीघा, 139 की 0.13 बीघा कुल 3 किता की 3.04 बीघा आराजी वादीगण के खाते में दर्ज हो गई है जिसका इन्तकाल नम्बर 226 दिनांक 15.05.2017 को वादीगण के पक्ष में खुल गया है। जिसमें वादीगण 3.04 बीघा आराजी के तन्हा खातेदार मालिक है। उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने अर्सा एक वर्ष पूर्व जबरन बल पूर्वक नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकारी नहीं है और ना ही प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 के खाते में उक्त

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

आराजी दर्ज है फिर भी प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी पर कब्जा कर रखा है जो बहैसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये संम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में अपने शपथ पत्र पेश किये गये है। जो शामिल पत्रावली किये गये। बहस सुनी गई। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी संख्या 2069 से 2072 का अवलोकन किया है, साथ अवलोकन करने स्पष्ट होता है कि वाद में अंकित आराजी पर वादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। प्रतिवादीगण ने इस आराजी पर किस आधार पर कब्जा किया है। अपने जवाब में स्पष्ट नहीं किया है अपितु बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद से कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा डिक्री किया जाने योग्य होने से डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कि ग्राम टोडाखेडा पटवार हल्का खेरखेडा के माल की खाता संख्या नया 9 पुरानी 5 की खसरा संख्या 96 की 0.06 बीघा, 97 की 2.05 बीघा, 139 की 0.13 बीघा कुल किता 3 की 3.04 बीघा आराजी से प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी दिलाया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 67 / दावा / 19

तारीख दायरा 16.08.2019

उनवान

1. नन्दलाल पिता कंवरलाल जाति लोधा निवासी बनेठ तहसील मनोहरथाना
2. परमानन्द पिता कंवरलाल जाति लोधा निवासी बनेठ तहसील मनोहरथाना

–वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पिता बीरम जाति भील निवासी टोडाखेडा तहसील मनोहरथाना
2. रंगलाल पिता बीरम जाति भील निवासी टोडाखेडा तहसील मनोहरथाना
3. कालू पिता किशना जाति भील निवासी टोडाखेडा तहसील मनोहरथाना
4. दोला पिता गिरधारी जाति भील निवासी टोडाखेडा तहसील मनोहरथाना

– प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री गजेन्द्र कुमार नामा वकील मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :– वाद वादी फर्द डिग्री किया जाता है कि तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम टोडाखेडा पटवार हल्का खेरखेडा के माल की खाता संख्या नया 9 पुरानी 5 की खसरा संख्या 96 की 0.06 बीघा, 97 की 2.05 बीघा, 139 की 0.13 बीघा कुल किता 3 की 3.04 बीघा आराजी से प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

आज दिनांक 28-01-20 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner